

# मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना' पोर्टल हुआ लॉन्च

पोर्टल पर पंजीकरण कर स्वामित्व अधिकार कर सकते हैं प्राप्त



- ◆ 20 साल से अधिक समय से किराया/लीज/लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज़ लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
- ◆ पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत पर काबिज़ व्यक्तियों को मिलेगा लाभ
- ◆ कच्चाधारियों को वर्तमान कलेक्टर दर पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट
- ◆ 1 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

आवेदन करने के लिए पोर्टल-

<https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/>

